

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

Annexure II



पत्रांक : सम्बद्धता/१३२२९
दिनांक : २५ जनवरी, २००८


सचिव,
दून कालेज ऑफ एजुकेशन,
सुन्दरपुर (सहारनपुर)
महोदय,

अनुसचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग-२, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-६०९६/सत्तर-२-२००७-२ (४९९)/२००७, दिनांक २४.०१.२००८ का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, २००७) की धारा-३७(२) के परन्तुक के अधीन दून कालेज ऑफ एजुकेशन, सुन्दरपुर (सहारनपुर) को बी०एड० पाठ्यक्रम में १०० अतिरिक्त सीटों एवं एम०एड० पाठ्यक्रम में २५ सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक ०१.०७.२००६ से सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है :-

१. संस्था शासनादेश संख्या-२८५१/सत्तर-२-२००३-१६(९२)/२००२ दिनांक २ जुलाई २००३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
२. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
३. संस्था द्वारा मानकानुसार शिक्षकों एवं आधारभूत सुविधाओं को एक वर्ष में सुनिश्चित कर लिया जायेगा, अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
४. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।

माननीय शासन द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार दून कालेज ऑफ एजुकेशन, सुन्दरपुर (सहारनपुर) को बी०एड० पाठ्यक्रम में १०० अतिरिक्त सीटों एवं एम०एड० पाठ्यक्रम में २५ सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन दिनांक ०१.०७.२००६ से सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,


उप कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

१. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
२. प्रभारी, कमेंटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
३. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
४. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।


Chairman

Doon College of Education
V.P.O.-Sunderpur
Distt.-Saharanpur (U.P.)

उप कुलसचिव